इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 529] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2011—अग्रहायण 8, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्रमांक 25255-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 45 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४५ सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) विधेयक, २०११

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ९-ख का संशोधन.
३. धारा ५७ का संशोधन.
४. अनुसूची-१ का संशोधन
५. अनुसूची-२ का संशोधन
६. निरसन तथा व्यावृत्ति

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४५ सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ के उपबंध १ अप्रैल, २०११ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम की धारा ४ के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ग) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा ९-ख का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ९-ख में,—

(एक) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—इस धारा के अधीन कोई कर उन संव्यवहारों के संबंध में उद्गृहीत नहीं किया जाएगा जो संकर्म संविदा की प्रकृति के हों और जिन पर धारा ९ के अधीन संकर्म ठेकेदार के रूप में कर देयक हो.''.

(दो) उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु कोई ऐसा तालिकांकित (एनरोल्ड) भवन निर्माता तथा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिसने १ अप्रैल, २०११ के पूर्व क्रय किए गए माल का किसी भवन के निर्माण में ३१ मार्च, २०११ तक या उसके पश्चात् उपभोग किया हो, और इस प्रकार निर्मित भवन, १ अप्रैल, २०११ को या उसके पश्चात् बेचा गया हो या पट्टे पर दिया हो, ऐसे माल के संबंध में आगत कर की रिबेट का दावा करने का पात्र होगा और उसे इसके लिए अनुज्ञात किया जाएगा.''.

धारा ५७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५७ में, उपधारा (२) में, तृतीय परन्तुक में, दो बार आने वाले शब्द ''प्रवेश करने'' के स्थान पर शब्द ''यथास्थिति, प्रवेश करने या छोड़ने'' स्थापित किए जाएं.

अनुसूची-१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में, अनुक्रमांक ८७ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''८८. सेल्यूलर फोन के टॉक टाइम तथा सेवा प्रभार के पूर्व भुगतान (प्रीपेमेंट) के लिये रिचार्ज वाउचर.''.

अनुसूची-२ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में, भाग-२ में, अनुक्रमांक २२ के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''२२क. कोल एश जिसमें सिंडर सम्मिलित है. ५''.

६. (१) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०११ (क्रमांक २ सन् २०११) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिनांक १ अप्रैल, २००६ से सेल्यूलर फोन के रिचार्ज वाउचर पर कर से छूट प्रदान करने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की अनुसूची १ में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किया गया है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०११ इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधेयक के खण्ड २, ३ तथा ५ में अन्तर्विष्ट उपांतरणों सहित अधिनियम लाया जाए, इसके लिए उद्देशों और कारणों का कथन निम्नानुसार है:—

(१) धारा ९-ख के अधीन उन भवन निर्माताओं पर, जो संकर्म संविदा का भी निष्पादन करते हैं, का दायित्व स्पष्ट करना.

(२) भवन निर्माता द्वारा क्रय किए गए माल पर १ अप्रैल, २०११ से माल पर आगत कर रिबेट की सुविधा को विस्तारित करना.

(३) राज्य के भीतर से राज्य के बाहर जाने वाले यानों पर प्ररूप ४९ आनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा को विस्तारित करना.

(४) कोल एश जिसमें सिंडर सम्मिलित है, पर कर की दर स्पष्ट करना.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख २४ नवम्बर सन् २०११.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

अध्यादेश के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक २७ दिनांक ३१-३-२००३ तथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक ३७ दिनांक १-५-१९९५ द्वारा रिचार्ज कूपन को वस्तु के रूप में अधिसूचित किया था, जिस पर १३% की दर से कर देयता के संबंध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा वेट अधिनियम की धारा ७० के अंतर्गत आदेश दिनांक ३०-८-२०१० पारित किया गया था. टेलीफोन की सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिये रिचार्ज वाउचर के अतिरिक्त अन्य विकल्प जैसे इन्टरनेट/मोबाइल से पेमेन्ट, भी उपलब्ध हैं, जो वेट के दायरे से बाहर हैं. इस दृष्टि से रिचार्ज वाउचर पर वेट की देयता होना, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता. इसलिये मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में यथोचित संशोधन कर उक्त कर देयता को समाप्त किया जाना आवश्यक हो गया था.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था और राज्य विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०११ (क्रमांक २ सन् २०११) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.